

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./08 /2011/ 1125

भोपाल, दिनांक 07/06/2011

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गी कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बाबू सिंह गौड़, प्रधानाध्यापक	AF 6408	बा.प्रा.शाला रामटौ रिया वि.खं.बड़ामलहरा जि. छतरपुर	23090108204	सागर
2.	श्री हरिशंकर अग्रवाल, सहायक शिक्षक	BD 1937	शा.क.प्रा.शाला जतारा संकुल शा.क.उमावि जतारा जि.टीकमगढ़	23080220302	भोपाल
3	श्री सोमेश्वर प्रसाद मिश्र, सहायक शिक्षक	BE 6247	शा.कन्या हाईस्कूल देवतालाब जि.रीवा	23140366602	उमरिया
4	श्रीमती शोभा द्विवेदी, सहायक शिक्षक	AG 2274	शा.प्राथ.शाला सबनीगर जिला छतरपुर	23090504909	भोपाल
5	श्रीमती शांति जॉन, सहायक शिक्षक	BI 7142	शा.प्राथ.वि.दौलतपुरा (नगरां) जि.रतलाम	23200509701	इन्दौर
6	श्रीमती स्वलेहा मेव, सहायक शिक्षक	BA 1943	शा.बा.माध्यमिक वि. सकसी जि.शाजापुर	23220619414	इन्दौर
7	श्री रामचन्द्र राणावत, सहायक शिक्षक	BH 1897	शा.प्राथ.वि. पंथमंडला संकुल शा.हाईस्कूल जि. देवास	23230116901	इन्दौर
8	श्री अतुल मिश्रा, सहायक शिक्षक	AI 7795	शा.मा.वि.सनोली वि.खं. बदनावर जि.धार	23250100103	इन्दौर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।


3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जा, कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि

संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.24 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

 7.6.11


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 07/06/2011

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./08 /2011/1126  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
  3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
  4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
  5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
  6. कलेक्टर, जिला- छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, भोपाल, रीवा, उमरिया, रतलाम, इन्दौर, शाजापुर, देवास एवं धार म.प्र.।
  7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, भोपाल, रीवा, उमरिया, रतलाम, इन्दौर, शाजापुर, देवास एवं धार म.प्र.।
  8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
  9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, भोपाल, रीवा, उमरिया, रतलाम, इन्दौर, शाजापुर, देवास एवं धार म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 10 सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./22 /2011/1127

भोपाल, दिनांक 07/06/2011

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गी कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रवेन्द्र परमार, सहायक शिक्षिका	AI 4538	शा.महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमावि दतिया	23050177703	छतरपुर
2.	श्रीमती ज्योत्सना पंवार, शिक्षक	BE 9332	शा.मा.शाला माधवगंज क्रं.2 जिला विदिशा	23310722502	भोपाल
3	श्री शोभाराम वर्मा, प्रधानाध्यापक	AT 4355	शा.मा.शाला इटांय जिला पन्ना	23100403801	टीकमगढ़
4	श्रीमती सरोज दोहरे, सहायक शिक्षक	BG 6511	शा.कन्या प्राथ.वि.लहार जिला भिण्ड	22330500104	मुरैना
5	श्रीमती भद्रशिला देवड़ा, प्रधानपाठिका	AF 2856	शा.जन हिन्दी प्राथमिक शाला पालोंडा जि. बुरहानपुर	23480210701	खण्डवा
6	श्रीमती शैलबाला पाठक, प्रधानाध्यापक	AA 4239	शा.मा.शाला पड़रिया काछी जिला भोपाल	23320211902	बुरहानपुर
7	श्री रामदीन पाण्डेय, सहायक शिक्षक	AA 3961	शा.माध्यमिक शाला ' बोरखेड़ी फन्दा जि.भोपाल	23320206701	रीवा
8	श्री.कल्पना खैर, सहायक शिक्षिका	AK 8898	शा.प्राथ.वि.चिटनिस की गोंठ लश्कर जि.ग्वालियर	2340505201	उज्जैन
9	श्री राजेन्द्रनाथ शर्मा, प्रधानाध्यापक	BA 6212	शा.प्राथ.वि.कुंहाजापुर जि. श्योपुर	23010920301	शिवपुरी
10	श्रीमती अंजना जैन, सहायक शिक्षिका	AZ 8527	शा.क.प्राथ.वि.अकोदिया मंडी जि.शाजापुर	23220707701	उज्जैन
11	श्री कोक सिंह देशलहरा, सहायक शिक्षक	AU 3487	शा.हाईस्कूल भ्याना वि.खं. सारंगपुर जि.राजगढ़	23300466602	मुरैना
12	श्री सरनाम सिंह सिकरवार, सहायक शिक्षक	BA 6678	शा.प्राथ.वि.दोंतरदा खुर्द जिला श्योपुर	230109OBT02	ग्वालियर
13	श्रीमती सत्यवती पाण्डेय, सहायक शिक्षक	BD 6506	शा.प्रा.पाठशाला गुदनवारा जिला टीकमगढ़	23080609901	छतरपुर
14	श्री शोभाराम चूरी, प्रधान पाठक	AZ 8527	शा.नवीन माध्यमिक शाला करहैया(भौरझिर) नरसिंहपुर	23220707701	जबलपुर
15	श्री कमलेश कुमार शुक्ला, सहायक शिक्षक	BN 6482	शा.मा.वि.लहचूरा का पुरा, गोहद जिला भिण्ड	23030718802	दतिया

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे याद संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.24 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

28/6/11  
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश  
भोपाल, दिनांक 07/06/2011


पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./22/2011/1128

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निरंतर...3

3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला— दतिया,छतरपुर,विदिशा,भोपाल,पन्ना,टीकमगढ़, भिण्ड,मुरैना,बुरहानपुर, खण्डवा, रीवा,ग्वालियर,उज्जैन,श्योपुर, शिवपुरी,शाजापुर,राजगढ़,नरसिंहपुर,जबलपुर एवं भिण्ड म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला— दतिया,छतरपुर,विदिशा,भोपाल,पन्ना,टीकमगढ़, भिण्ड,मुरैना,बुरहानपुर, खण्डवा, रीवा,ग्वालियर,उज्जैन,श्योपुर,शिवपुरी,शाजापुर,राजगढ़,नरसिंहपुर,जबलपुर एवं भिण्ड म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला— दतिया,छतरपुर,विदिशा,भोपाल,पन्ना,टीकमगढ़, भिण्ड,मुरैना,बुरहानपुर, खण्डवा, रीवा,ग्वालियर,उज्जैन,श्योपुर, शिवपुरी,शाजापुर,राजगढ़,नरसिंहपुर,जबलपुर एवं भिण्ड म.प्र.।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक,समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11.संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश



क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./02 /2011/ 1129

भोपाल, दिनांक 07/06/2011

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गी कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

सं.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री देवीदयाल भारती, शिक्षक,	AU 2450	एपीसी, जिला परियोजना समन्वयक जि.शि.केन्द्र जिला रायसेन	2334050DS03	भोपाल
2.	श्री सत्यकुमार सिंह, सहायक शिक्षक	BB 8799	शा.प्राथमिक कन्या शाला जनरवाह जि.सीवी	23170607303	भोपाल
3	श्री मुबारक खान, सहायक शिक्षक	BB 4018	शा.प्राथ.वि.थरखेड़ा वि.खं. नरवर जिला शिवपुरी	23060807601	ग्वालियर
4	श्री रामसेवक सराहिया, प्रधानाध्यापक	AK 2228	शा.मा.वि.भदौरा जिला गुना	23070608192	ग्वालियर
5	श्रीमती शांति देवी असाठी, सहायक शिक्षक	AH 8268	शा.प्राथमिक शाला मॉगंज वार्ड नं.4 जिला दमोह	23120311509	भोपाल
6	श्री महेश कुमार पटेल, सहायक शिक्षक	AR 9562	शा.माध्यमिक शाला भैंसा राखी जिला नरसिंहपुर	23400300602	जबलपुर
7	श्रीमती रेखा पुरोहित, सहायक शिक्षक	BE 2401	शा.मा.शाला ऋषि नगर जिला उज्जैन	23210705002	भोपाल
8	श्री प्रफुल्ल सहस्त्रबुद्धे, सहायक शिक्षक	BH 2423	शा.माध्यमिक विद्यालय डबल चौकी जि.देवास	232301OBS02	इन्दौर
9	श्रीमती हंसाबेन पारिख, (विकलांग) सहायक शिक्षिका	AS 4474	शा.कन्या प्राथ.वि.बधाना जिला नीमच	23180714208	मंदसौर
10	श्री गन्नान हुसैन जाकिर, सहा.शिक्षक	AI 7748	शा.उमावि नागदा जिला धार	23250177702	इन्दौर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।

- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.24 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

3/8  
आयुक्त 7-6-11

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 07/06/2011

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./02 /2011/ 1130  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला- रायसेन, भोपाल, सीधी, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, दमोह, नरसिंहपुर, उज्जैन, देवास, इंदौर, नीमच, मंदसौर एवं धार म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- रायसेन, भोपाल, सीधी, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, दमोह, नरसिंहपुर, उज्जैन, देवास, इंदौर, नीमच, मंदसौर एवं धार म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- रायसेन, भोपाल, सीधी, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, दमोह, नरसिंहपुर, उज्जैन, देवास, इंदौर, नीमच, मंदसौर एवं धार म.प्र.।
10. सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश